कार्यालय नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

E-mail Id-npmasaurhi@gmail.com

पत्रांक 1114 /   दिनांक 30.06.2026 /

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

सेवा में,

निदेशक (विज्ञापन)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि इस पत्र के साथ संलग्न अल्पकालीन अभिरूची की अभिव्यक्ति को दो प्रमुख दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

30.6.26

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

कार्यालय नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

E-mail Id-npmasaurhi@gmail.com

तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि क्रय करने/लीज पर लेने हेतु अल्पकालीन अभिरूची की अभिव्यक्ति

सरकार के अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1387, दिनांक–11.04.2025 एवं पत्रांक–3792, दिनांक–02.12.2024 के आलोक में तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु STP cum FSTP विकसित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–13/SBM-14/2025-3391/न0वि0एवंआ0वि0 पटना दिनांक–11.09.205 एवं पत्रांक– 2070, दिनांक– 03.06.2026 के आलोक में रैयती भूमि क्रय/सतत लीज पर लेने हेतु दी गई स्वीकृति के तहत नगर परिषद, मसौढ़ी द्वारा कोरियावॉ क्षेत्र या नगर परिषद, मसौढ़ी के 5 से 6 कि0मी0 की परिधि में इच्छुक भूस्वामियों से बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026/बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के अनुसार क्रय/ सतत लीज पर लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 सं0	विवरणी	जमीन की आवश्यकता	भूमि की अवस्थिति	अभियुक्ति
1	STP cum FSTP विकसित करने हेतु आवयक भूमि का रकवा (एकड़ में)	Feasibility Report के अनुसार 3.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।	प्रमुखतः कोरियावॉ क्षेत्र में तथा कोरियावॉ क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर नगर परिषद, मसौढ़ी के 5 से 6 कि0मी0 की परिधि में।	बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026/बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के माध्यम से भूमि क्रय /सतत लीज पर ली जाएगी।

नियम एवं शर्ते :–

1. भूमि पर पहुँच पथ कम से कम 16 फीट चौड़ा रास्ता होना चाहिए।
2. भूमि से 200 मीटर तक में नदी, तालाब, झील इत्यादि नहीं हो।
3. भूमि जल–जमाव से ग्रसित नहीं होनी चाहिए।
4. भूमि के उपर हाई टेंशन विद्युत तार नहीं गुजरना चाहिए।
5. भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित होना चाहिए।
6. भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए।
7. भू–स्वामी से प्राप्त दस्तावेज एवं भूमि के भौतिक सत्यापन के पश्चात भूमि क्रय/लीज लेने हेतु निर्णय लिया जायेगा।
8. भूमि का क्रय/लीज हेतु निर्णय नगर परिषद, मसौढी के सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा।
9. भू–स्वामी को भूमि की कीमत का भुगतान आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 सी0एफ0एम0एस0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।
10. चयतिन भूमि के स्वामी को सतत लीज/क्रय हेतु निबंधित डीड संपादित करना होगा।
11. सर्वप्रथम कोरियावॉ क्षेत्र में उपलब्ध भू–खण्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरियावॉ क्षेत्र में भूमि नहीं मिलने पर नगर परिषद, मसौढ़ी की सीमा से नजदीक वाले भू–खण्ड को प्राथमिकता दी जाएगी।

उक्त शर्तों के आलोक में नगर परिषद्, मसौढ़ी द्वारा इच्छुक भूस्वामी से **दिनांक 20.07.2026 को 03:00 बजे अपराह्न** तक बन्द लिफाफे में परिशिष्ट–1 में दिये गए प्रारूप में मांगी गई सूचना और आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। बन्द लिफाफे पर पता के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मसौढ़ी तथा लिफाफे के उपर आवेदन का विषय अवश्य उल्लिखित होना चाहिए। भूस्वामियों से प्राप्त आवेदन प्रस्तावों को **दिनांक–.22.07.2026 को 01:00 बजे अपराहन** में सशक्त स्थायी समिति के समक्ष नगर परिषद् मसौढ़ी कार्यालय के सभागार में खोला जायेगा। निर्धारित तिथि को किसी कारणवश अवकाश होने की स्थिति अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं विहित प्रपत्र हेतु इच्छुक भू–स्वामी/संस्था किसी भी कार्य दिवस तथा कार्यावधि में नगर परिषद् मसौढ़ी कार्यालय में स्वंय अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

<u>परिशिष्ट–1 (आवश्यक दस्तावेज)</u>

I. भू–स्वामी का नाम एवं पता, आधार नं0, मोबाईल नं०।

II. संबंधित जमीन का एल०पी०सी० भूमि लगान का अद्यतन रसीद एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजात ।

III. संबंधित जमीन के भूमि निबंधन प्रमाण पत्र/खतियान की प्रति।

IV. संबंधित जमीन की वंशावली, जो सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया गया हो।

V. संबंधित भूमि पर किसी प्रकार का विवाद/मुकदमा/बकाया आदि नहीं होने का शपथ–पत्र।

VI. संबंधित भूमि किसी बैंक/वित्तीय संस्था को मॉर्टगेज नहीं किये जाने का शपथ–पत्र।

VII. संबंधित भूमि भू–हदबंदी पर्चा, भू–दान पर्चा सैरात एवं कैसरे हिन्द से मुक्त होने का शपथ–पत्र।

VIII. भूमि का इंडेक्स मैप/नजरी नक्शा जिसमें लैंडमार्क एवं पहुंच पथ दर्शाया गया हो।

IX. सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।

X. आवश्यकतानुसार म्यूटेशन दस्तावेज यदि म्यूटेशन नहीं हो तो अंचलाधिकारी से निर्गत पारिवारिक सूची।

नोटः– प्रकाशित सूचना में परिवर्तन या बिना कारण बताये प्रस्ताव/अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण को रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

30.6.26

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।